न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–2 उन्नाव

उपस्थित पवन कुमार सिंह ।।, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

सरकार **बनाम** **अनिल कुमार उर्फ बडकउनू आदि**

अपराध संख्या–100/2009
धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना–अचलगंज
जिला–उन्नाव।

दिनांक–11–08–2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ बडकउनू की ओर से प्रस्तुत किये गये जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाद में अभियुक्त है। प्रार्थी अत्यन्त गरीब है। प्रार्थी का उक्त वाद लड़ना नहीं चाहता है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का वाद जुर्म स्वीकार के आधार पर निस्तारित करने की कृपा करें।

अभियुक्त से न्यायालय द्वारा पूछने पर अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वह बिना किसी दबाव के स्वेच्छया संस्वीकृति कर रहा है। न्यायालय द्वारा चेतावनी दी गयी कि उसे संस्वीकृति के आधार पर सजा हो सकती है, किन्तु इसके बावजूद भी अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया संस्वीकृति की गई। अभियुक्त का बयान जुर्म स्वीकारोक्ति अंकित किया गया।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अभियुक्त स्वेच्छा से न्यायालय समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है अतः जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। दंड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक– 11–08–2025

(पवन कुमार सिंह।।)
जे.ओ. कोड– यू.पी. 2537
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या–2, उन्नाव

लंच बाद

पत्रावली दंड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पुनः पेश हुई। दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना गया। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि वह अत्यंत गरीब व्यक्ति है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। भविष्य में अभियुक्त कोई गलत काम नहीं करेगा। अतः उसे सुधरने का मौका देते हुए कम से कम दंड से दंडित किया जाए जबकि विद्वान सहायक अभियोजन

Digitally signed by PAWAN SINGH
Date: 2025.08.11 17:16:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिकारी द्वारा अधिकतम दण्ड से दण्डित करने की याचना की गयी। पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2009 से लंबित है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा से किए गए जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। चूंकि अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। अभियुक्त को अपने कृत्य पर पछतावा है एवं अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया संस्वीकृति की गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा आदेश में उल्लिखित किये गए कारणों के आलोक में न्यायालय के मत में अभियुक्त को निम्न प्रकार से दंडित किये जाने से न्याय की मंशा पूर्ण हो सकेगी।

<u>आदेश</u>

मु.अ.सं.–**100/2009** अतंर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–अचलगंज, जिला–उन्नाव में दोषसिद्ध अभियुक्त को मु. 1500/–रूपये के अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 20 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

दिनांक–11–08–2025

(पवन कुमार सिंह॥)
जे.ओ. कोड– यू.पी. 2537
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या–2, उन्नाव